<u>न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)</u>

T.S-11/2019

विपिन बिहारी यादव

बनाम

रतनेश कुमार भारती एवं अन्य

14.09.2022 उभय पक्षो की ओर से हाजरी दी गई।

प्रतिवादी सं0–6 श्रीमती ललिता देवी के द्वारा दिनांक–19.05.2022 को दाखिल लिखित कथन एव वादी के द्वारा दिनांक–03.08.2022 के विरोध आवेदन पर सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

प्रतिवादी सं0–6 (प्रतिवादी तृतीय पक्ष) श्रीमती ललिता देवी की ओर से दिनांक–19.05.2022 को लिखित कथन दाखिल किया गया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी सं0–6 के विरूद्ध दिनांक–25.11.2019 को एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया गया था। प्रतिवादी सं0–6 को ससमय से न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण लिखित कथन दाखिल करने से वंचित कर दिया गया था। प्रतिवादी सं0–6 को वाद की जानकारी होने पर न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित कथन दाखिल किया। प्रतिवादी सं0–6 कॉरोना महामारी के कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो सकी। अतः प्रतिवादी सं0–6 के लिखित कथन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी सं0–6 के लिखित कथन का वादी के द्वारा दिनांक–03.08.2022 को आवेदन दाखिल कर विरोध किया गया। वादी का विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी सं0–6 के द्वारा दाखिल लिखित कथन पोषणीय तथा स्वीकार्य किये जाने योग्य नही है। प्रतिवादी सं0–6 के विरूद्ध न्यायालय के द्वारा सभी आवश्यक आदेशिका पारित करने के बाद दिनांक–25.11.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही चलाने का आदेश पारित किया गया था। प्रतिवादी सं0–6 दिनांक–17.03.2020 को हाजिर हो गई और कॉरोना महामारी के पश्चात कई तिथियों से हाजरी देती रही। प्रतिवादी सं0–6 के द्वारा जानबूझ कर वाद मे विलम्ब कारित करने के आशय से लिखित कथन दाखिल नही किया गया। अतः प्रतिवादी सं0–6 के लिखित कथन को खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0–6 श्रीमती ललिता देवी के विरूद्ध दिनांक–25.11.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया था। प्रतिवादी सं0–6 दिनांक–17.03.2020 को न्यायालय में उपस्थित हुई , इसके पश्चात कॉरोना महामारी का प्रकोप होने के कारण लिखित कथन दाखिल नही किया जा सका। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0–6 श्रीमती ललिता देवी के द्वारा दिनांक–19.05.2022 को दाखिल किये गये लिखित कथन को मो0–1000 रूपये खर्च के साथ न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है।

वाद दिनांक–28.09.2022 वास्ते साक्ष्य हेतु।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश